संख्याः 3856 / सत्रह–म–2003–5(69) / 81

प्रेषक,

अजय कुमार जोशी
प्रमुख सचिव,
उत्तर–प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक मत्स्य,
   उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक
   उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग — लखनऊः दिनांक 18 दिसम्बर, 2003

विषयः– मत्स्य विभाग / मत्स्य विकास निगम के अधीन आने वाले विभिन्न श्रेणी के जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था हेतु नीति निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 1573 / 57–म–2000–5(69) / 81, दिनांकः 20 अप्रैल,2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रेणी एक व दो के जलाशयों के सम्बन्ध में ठेकेदार द्वारा ठेके की शर्तो की पूर्ति न किये जाने के फलस्वरूप ठेका निरस्त कर दिये जाने की दशा में संबंधित जलाशयों की नीलाम करने में आयी कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए श्री राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त उपरि संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर–2 की व्यवस्था में निम्नवत संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैः–

पूर्व व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
2. इसी सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 20 अप्रैल,2001 के अन्तर्गत श्रेणी एक व दो के जलाशयों को तीन वर्षो के लिए नीलामी किये जाने का प्राविधान है फिर भी कभी कभी किसी ठेकेदार / समिति द्वारा ठेके की शर्तो का उल्लंघन करने पर उसके ठेके की निर्धारित अवधि के पूर्व निरस्त करना पड़ता है। उक्त स्थिति में ठेके को पुनः अवशेष अवधि के लिए नीलाम किये जाने में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिए सम्यक विचारोपरान्त निम्नांनुसार कार्यवाही किये जाने का भी निर्णय लिया गया हैः–	2. इसी सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 20 अप्रैल,2001 के अन्तर्गत श्रेणी एक व दो के जलाशयों को तीन वर्षो के लिए नीलाम किये जाने का प्राविधान है फिर भी कभी कभी किसी ठेकेदार / समिति द्वारा ठेके की शर्तो का उल्लंघन करने पर उसके ठेके को निर्धारित अवधि से पूर्व निरस्त करना पड़ता है। उक्त स्थिति में ठेके को पुनः अवशेष अवधि के लिए नीलाम किये जाने में आ रही कठिनाइयों के निवारण के लिए सम्यक विचारोपरान्त निम्नांनुसार कार्यवाही किये जाने का भी निर्णय लिया गया हैः–

(क) यदि पूर्व में स्वीकृति ठेके की अधिकतम 06 माह की अवशेष अवधि से पूर्व ठेका निरस्त कर दिया जाता है तो उस अवशेष बची हुई अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए पुनः ठेका/नीलाम की कार्यवाही की जायेगी। तदोपरान्त आगामी तीन वर्षो के लिए ठेका/नीलाम की कार्यवाही की जायेगी। (ख) यह कार्यवाही अर्थात पूर्व ठेके की अधिकतम बची 6 माह की अवशेष अवधि के लिए अलग से तथा आगामी तीन वर्षो के लिए अलग से अथवा एक साथ करायी जा सकती है। ऐसी स्थिति में श्रेणी एक व दो के जलाशयों के नीलाम के लिए निर्धारित अवधि तीन वर्ष के स्थान पर बढ़ी हुई अवधि मानी जायेगी जो अधिकतम तीन वर्ष 6 माह हो सकती है, तथा उपर्युक्त तीनों कार्यवाही एक ही समय में निष्पादित करायी जायेगी। इसप्रकार के ठेके दिये जाने/नीलाम की कार्यवाही किये जाने में समस्त ठेकेदारों/समिति को इस बात की स्वतंत्रता रहेगी कि उक्त तीनों प्रकार की कार्यवाहियों में एक साथ अथवा पृथक-पृथक भाग ले सकते है। नीलाम समिति को उपरोक्त तीनों प्रकार की कार्यवाहियों से करायी जाने वाली नीलामी की कार्यवाही से यह अधिकार होगा कि वह उसी विकल्प को संस्तुति/स्वीकार करे, जिसमें सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हो बोली स्वीकृति होने पर ठेकेदार/समिति से अधिकतम दो सप्ताह के अंदर अनुबंध करना अनिवार्य होगा। (ग) अधिकतम 6 माह की अवशेष अवधि हेतु ठेके की, की गयी नीलामी की कार्यवाही में उच्चतम बोलीदाता ठेकेदार/समिति कों 100 प्रतिशत धनराशि बोली स्वीकार होने के उपरान्त तत्काल जमा करनी होगी।	(क) यदि किसी जलाशय का ठेका ठेके के किसी वर्ष किन्हीं कारणोंवश निरस्त किया जाय तो उन जलाशयों के ठेके की नीलामी उस वर्ष की बची हुई अवशेष अवधि तथा अगले तीन वर्षो के लिए एक साथ करायी जाए। इसके अन्तर्गत ठेके की नीलामी उस वर्ष की अवशेष अवधि तथा अगले तीन वर्ष हेतु किया जायेगा जो कि किसी भी दशा में चार वर्ष से अधिक की अवधि के लिए न होगा। (ख) अवशेष अवधि हेतु ठेके की, की गयी कार्यवाही में उच्चतम बोलीदाता ठेकेदार/समिति को 100 प्रतिशत धनराशि बोली स्वीकार होने के उपरान्त तत्काल जमा करनी होगी।

उपरिसंदर्भित शासनादेश सं0 765/57–म–2000–5(69)/81, दिनांक 08 मार्च,2000, सं0 1383/57–म–2000–5(69)/81, दिनांक 11 अप्रैल,2001 तथा शासनादेश सं0–1573/57–म–2000–5(69)/81, दिनांक 20 अप्रैल,2001 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा तद्नुसार शासनादेश दिनांक 11.04.2001 के साथ जारी की गयी नीलामी की शर्तो में इसे सम्मिलित समझा जाये। कृपया तद्नुसार अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय
ह0/–
(अजय कुमार जोशी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 3856/सत्रह–म–2003–5(69)/81 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर–प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर–प्रदेश।
3. निबंधक, सहकारी समितियॉ, उत्तर–प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
6. निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।
7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. महालेखाकार, उत्तर–प्रदेश, इलाहाबाद।
9. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10. समस्त उप विकास आयुक्त, उत्तर–प्रदेश।
11. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर–प्रदेश।
12. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त उत्तर–प्रदेश।
13. समस्त अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) उ0प्र0/समस्त मुख्य विकास अधिकारी/समस्त जिला विकास अधिकारी।
14. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तर–प्रदेश।
15. समस्त मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
16. गार्ड फाइल हेतु एक प्रति।

आज्ञा से
ह0/–
(के0डी0 वर्मा)
अनुसचिव